

राजस्थान सरकार  
गृह (गुप-1) विभाग

क्रमांक:- प.18(06)गृह-1/2017 पार्ट-20735

जयपुर, दिनांक:- हस्ताक्षरित दिनांक

**आज्ञा**

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62 (01) तथा 63 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.10.2022 से राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पुलिस जबाबदेही समिति के गठन किये जाने की घोषणा की गई थी। उक्त समिति के अध्यक्ष पद हेतु श्री एच. आर. कुडी का मनोनयन किया गया था, जिनके कार्यकाल में एक माह (दिनांक 13.11.2024 तक) की एतद्वारा अभिवृद्धि की जाती है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(कश्मी कौर)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा0 राज्यमंत्री, गृह विभाग।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पुलिस जबाबदेही समिति, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कानून एवं व्यवस्था, सदस्य सचिव।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह ग्रुप-6 विभाग को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

Signature Not Verified

RajKaj Ref  
11132430



Digitally signed by Kashmi Kaur Raan  
Designation : Joint Secretary To  
Government  
Date: 2024.10.14 23:01:38 IST  
Reason: Approved